न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या —31 / 2017 (अपील)

1. नजीर अहमद आत्मज मृतक श्री इजलाल जाति मुसलमान, निवासी ग्राम चेचट, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल निवासी छावनी झालावाड, तहसील झालरा पाटन जिला झालावाड़ । ——अपीलाण्ट.

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) ———रेस्पोडेन्ट.

अपील अण्डर सेक्शन 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामातकरण संख्या 713 तहसीलदार रामगंजमण्डी दिनांक 31.01.2008

उस्थिति

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक— 26.02.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगंजमण्डी द्वारा नामा0 सं0 713 ग्राम चौंसला में दिनांक 31.01.2008 को आदेश पारित किया कि—" रिपोर्ट पटवारी व जांच आई.एल.आर के मृतक के सही वारिसान की जानकारी के अभाव में नामातकरण खारिज किया जाता है ।" बाबत आदेश पारित किया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 02.05.2017 को लिमिटेशन एक्त की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने खातेदार इजलाल आत्मज श्री गुलजार अहमद जाति मुसलमान के खाते की कृषि आराजीयात 3 किता की 8 बीघा 18 बिस्वा का फौती नामा0 संख्या 713 दिनांक 31.1.08 मृतक के वारिसान की सही जानकारी नहीं होने से खारिज फरमाने में त्रुटि की है । अपीलान्ट के पिता खातेदार इजलाल आत्मज श्री गुलजार अहमद जाति मुसलमान निवासी छावनी झालावाड के खाते की ग्राम चौंसला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में ख0नं0 177,247, 258 की कुल 3 किता की 8 बीघा 18 बिस्वा कृषि आराजीयात स्थित थी, अपीलान्ट के पिता इजलाल जी की मृत्यु हो चुकी है । तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के पिता इजलाल जी का फौती नामान्तकरण खारिज फरमाने में त्रुटि की है । खातेदार इजलाल जी का पुत्र होने से अपीलान्ट उनका एक मात्र उत्तराधिकारी है । नामा0 जैर अपील मुस्लिम विधि, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्थान भू— राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भू राजस्व भू— अभिलेख नियम 1957 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अपीलान्ट ने अपीलान्ट के पिता इजलाल जी के खाते की जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के लिये दिनांक 1.5.2017 को पटवारी हल्का के पास गया एवं उपरोक्त जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की उस समय पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को बतलाया कि अपीलान्ट के पिता इजलाल जी का फौती नामा0 खारिज हो चुका है । इस पर जैर अपील नामा0 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 1.5.2017 को प्राप्त कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्ति के दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर फौती नामान्तकरण संख्या 713 दिनांक 31.1.2008 ग्राम चौंसला, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट के पिता मृतक खातेदार इजलाल जी का फौती नामातकरण अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें ।

Scanned by CamScanner

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । वकील अपीलान्ट व पेराकार सरकार उपस्थित । बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने खातेदार इजलाल आत्मज श्री गुलजार अहमद जाति मुसलमान के खाते की कृषि आराजीयात 3 किता की 8 बीघा 18 बिस्वा का फौती नामा0 संख्या 713 दिनांक 31.1.08 मृतक के वारिसान की सही जानकारी नहीं होने से खारिज फरमाने में त्रुटि की है । अपीलान्ट के पिता खातेदार इजलाल आत्मज श्री गुलजार अहमद जाति मुसलमान निवासी छावनी झालावाड के खाते की ग्राम चौंसला तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में ख0नं0 177,247, 258 की कुल 3 किता की 8 बीघा 18 बिस्वा कृषि आराजीयात स्थित थी, अपीलान्ट के पिता इजलाल जी की मृत्यु हो चुकी है । तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के पिता इजलाल जी का फौती नामान्तकरण खारिज फरमाने में त्रुटि की है । खातेदार इजलाल जी का पुत्र होने से अपीलान्ट उनका एक मात्र उत्तराधिकारी है । नामा0 जैर अपील मुस्लिम विधि, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान भू राजस्व भू– अभिलेख नियम 1957 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर फौती नामान्तकरण संख्या 713 दिनांक 31.1.2008 ग्राम चौंसला, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट के पिता मृतक खातेदार इजलाल जी का फौती नामातकरण अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें ।

कार्यालय जिला कलक्टर कोटा

5. हमने अपीलांट की बहस सुनी,व बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी के नामा0 सं0 713 आदेश दिनांक 31.1.2008 के विरूद्व लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र धारा 5 के साथ पेश की गई है । उक्त खारिज नामा0 की प्रथम जानकारी पटवारी जी हल्का के पास जाने पर होने तथा प्रथम जानकारी दिनांक 1.5.20 से अपील प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 02.5.2017 के मध्य की अवधि को न्यायहित में मुजरा करते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अवधि मध्य मानी जाती है ।

6. मृतक खातेदार इजलाल पुत्र गुलजान जाति मुसलमान निवासी ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी का फौती नामा0 सं0 713 मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर दर्ज किया गया किन्तु वारिसान के सही जानकारी के अभाव में उक्त नामान्तकरण खारिज कर दिया गया । नामा0 एवं जमाबंदी में मृतक खातेदार का पता छावनी झालावाड़ अंकित किया गया है, इस बाबत तहसीलदार झालावाड़ से भी रिपोर्ट ली जाकर मृतक खातेदार के सही एवं विधिक वारिसान की जांच कर प्रकरण पुनः तहसीलदार रामगंजमण्डी प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

7. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि मृतक खातेदार के सही एवं विधिक वारिसान की जांच कराई जाकर नवीन आदेश पारित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner